



अभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023

के तहत
नये अपराध

मॉब लिंकिंग



यदि 5 या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या जातिगत, जन्म-स्थान, भाषा कारणों से की जाती है, तो उस भीड़ के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदण्ड या उम्रकैद की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।

यदि भीड़ द्वारा इन कारणों से किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट पहुँचती है तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।